तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज योगेश कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कार्यालय संभागीय आयुक्त), जयपुर **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1539**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक प. 13(24) आरटीआई/2025/ई–06191/1199 दिनांक 10.09.2025 प्रत। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत शाखा की पत्रावली पर संधारित है एवं पत्रावली अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् अलवर के स्तर पर लम्बित है। जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जांच प्रक्रिया के प्रकटन से संबंधित है। जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (एच) के तहत् प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। अत: अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत शाखा से संबंधित है जो कि अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् अलवर के स्तर पर लम्बित है। जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जांच (enquiry) प्रक्रिया के प्रकटन से संबंधित है। जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत् प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक 579 दिनांक 05.06.2025 द्वारा सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	